न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील नम्बर 91/2022(जीसीएमएस नम्बर 2022/277)

1. स्वामी मीना
2. मुकेश मीना
3. सुखराम मीना
   पुत्रान किशनलाल जाति मीना निवासी बाढ प्रेमपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
4. गोविन्दी पत्नी किशनलाल जाति मीना निवासी बाढ प्रेमपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. कल्याण पुत्र भवरियॉ जाति मीना निवासी बाढ प्रेमपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. सरपंच ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।

–असल रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट दिनांक 16.04.2005 जो नामान्तरकरण संख्या 11 ग्राम बाढ प्रेमपुरा तहसील लालसोट पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री विजय कुमार माथुर, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से ।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित।
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 22.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां, तहसील लालसोट के निर्णय दिनांक 16.04.2005 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. व प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 16.08.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट के निर्णय दिनांक 16.04.2005 के द्वारा मजमे आम में नारायण मृतक की जॉच की गई। नारायण मीणा पुत्र भैरूबक्स फौत होने पर उसके भाई के लड़के कल्याण पुत्र भौरीलाल मीणा ग्राम बाढ़ प्रेमपुरा सर्वसम्मति से नामान्तकरण पुनः स्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां, तहसील लालसोट, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 16.04.2005 से व्यथित होकर अपीलान्ट स्वामी मीना पुत्र किशनलाल वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां, तहसील लालसोट का निर्णय दिनांक 16.04.2005 निरस्त करने एवं इंतकाल संख्या 11 ग्राम बाढ प्रेमपुरा, तहसील लालसोट निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 39 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नंबर 6 रकबा 5 बीघा ग्राम बाढ प्रेमपुरा, तहसील लालसोट में मृतक नारायण पुत्र भैरूबक्स का 1/6 हिस्सा दर्ज था। नारायण नाऔलाद फौत हो गया है, उसके कोई सन्तान लडका, लडकी, पत्नि नहीं थे। अपीलान्ट नंबर 1 लगायत 3 के पिता किशनलाल व रेस्पोडेन्ट नंबर 01 कल्याण ही उसके बराबर के वारिस उत्तराधिकारी थे। मृतक नारायण जिन्दा था। उसको रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने मृतक बताकर उसके हिस्से की भूमि का नामान्तकरण अकेले अपने नाम नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 27.06.1990 के द्वारा खुलवा लिया जबकि अपीलान्ट के पिता भी मृतक नारायण के वारिस थे इस बात

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

की जानकारी अपीलान्ट के पिता को होने पर अपीलान्ट के पिता ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 11 के खिलाफ अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष पेश की जहाँ पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय दौसा ने दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 03.01.1991 को उक्त नामान्तरकरण संख्या 11 ग्राम बाढ प्रेमपुरा को निरस्त कर मामला ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां को इस आशय के साथ रिमान्ड किया कि ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पंचायत कोरम में अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट की पूर्ण सुनवाई करे, नारायण जिन्दा है या मर गया इस बाबत पूर्ण साक्ष्य ले व पुनः निर्णय पारित करे। परन्तु अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने 14 साल बाद स्वंय अकेले सरपंच ने ही निम्नानुसार निर्णय कर दिया कि प्रशासन आपके द्वार कैम्प में दिनांक 16.04.2005 को नामान्तकरण पेश हुआ मजमे आम में नारायण की मृत्यु की जॉच की गयी नारायण मीणा पुत्र भैरूबक्स फौत हो चुका है उसके भाई के लडके कल्याण पुत्र भौरीलाल मीणा ग्राम बाढ प्रेमपुरा सर्व सम्मति से नामान्तकरण पुनः स्वीकार किया जाता है। इस तरह अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने अपीलीय न्यायालय के आदेश की बिना पालना किये एवं अपीलान्ट के पिता को बिना सूचना दिये ही नामान्तकरण संख्या 11 का फैसला दिनांक 16.04.2005 को कर दिया गया।

अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां के आदेश दिनांक 16.04.2005 जो विवादित नामान्तकरण संख्या 11 ग्राम बाढ प्रेमपुरा पर पारित किया गया है की जानकारी होते ही जानकारी से दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व धारा 96 सी.पी. सी. के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 17.12.2021 को अपील उप जिला अधिकारी महोदय लालसोट के समक्ष उनवानी स्वामी मीना बनाम कल्याण की प्रस्तुत की। उक्त अपील मे रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 21.03.2022 को एक आपत्ति प्रस्तुत की और उक्त आपत्ति में बताया गया कि उक्त नामान्तकरण विवादित है और विवादित नामान्तकरण की अपील की सुनवाई का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नही है। उक्त प्रार्थना पत्र आपत्ति प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट ने उप जिलाधिकारी लालसोट के समक्ष दिनांक 29.06.2022 को उक्त अपील को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु विड्रा करने का प्रार्थना पत्र पेश किया और उक्त प्रार्थना पत्र आदेश हेतु दिनांक 01.07.2022 की तारीख दी गई। अपीलान्ट स्वामी ने रीडर साहब से जाकर पूछा तो उन्होने बताया कि आपकी उक्त अपील को विड्रा कर खारिज कर दिया गया है तब अपीलान्ट ने दिनांक 20.07.2022 को उक्त निर्णय दिनांक 01.07. 2022 एवं अपील व दफा 5 प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र 96 आदि की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 20.07.2022 को मिली तब वकील नियुक्त कर अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है, जिसको स्वीकार किया जाकर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करने मे उपर वर्णित कारण अनुसार देरी हुई है जिसको श्रीमान द्वारा क्षमा किया जाना जरूरी है एवं उप जिला कलेक्टर लालसोट के समक्ष विचाराधीन अपील के समय को भी कंडोन किया जाना जरूरी है उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की थी जिसके लिये श्रीमान के समक्ष भी दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र पृथक से संलग्न किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक नारायण की मृत्यु के बारे मे कोई जाँच नही की तथा मृतक की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही 14 वर्ष बाद नारायण को मृतक मान लिया जो कानूनन गलत है तथा बिना कोई जॉच किये बिना व बिना वारिसान की जाँच किये बिना उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट दिनांक 16.04.2005 जो नामान्तकरण संख्या 11 वाके ग्राम बाढ प्रेमपुरा, तहसील लालसोट पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपील ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां के नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 16.04.2005 के आदेश के विरूद्ध दिनांक 20.12.2021 को न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट में पेश की गई है। आराजी खसरा नं0 8 व 6 ग्राम बाढ प्रेमपुरा तहसील लालसोट में मृतक नारायण पुत्र भैरूबक्स के हिस्से 1/6 को विवादित किया गया तथा उक्त विवादित हिस्से की विरासत का नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 27.06.1990 को तहसीलदार लालसोट द्वारा स्वीकृत किया गया तथा उक्त निर्णय तहसीलदार लालसोट के आदेश दिनांक 27.06.1990 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर निर्णय दिनांक 03.01.1991 को अपील स्वीकार की गई। प्रकरण ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां को रिमाण्ड किया गया जिस पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां द्वारा दिनांक 16.04.2005 को निर्णय पारित करते हुये नामान्तकरण संख्या 11 को यथावत रखा गया। अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.04.2005 ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी अथवा नहीं बाबत तथ्य को पूर्णतः सिद्ध करने में रेस्पोडेन्ट विफल रहा है। अपीलान्ट द्वारा अंकित किया गया है कि उसको प्रश्नगत नामान्तकरण की जानकारी जमाबन्दी व नामान्तकरण की नकल दिनांक 08.12.2021 को लेने पर प्रथम बार हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये तथा माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का राशि 5000/–रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलान्ट अधीनस्थ ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 16.04.2005 जो नामान्तकरण संख्या 11 ग्राम बाढ प्रेमपुरा, तहसील लालसोट पर पारित किया गया है से प्रभावित होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी0 स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 03.01.1991 द्वारा पारित आदेश की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुये नामान्तकरण स्वीकार किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात पत्रावली में संलग्न नहीं है ना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा इस तथ्य को दौराने बहस अथवा अन्यथा सिद्ध किया गया है। जिससे जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 11 स्वीकार करते समय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के आदेश की पालना में उभय पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया है। चूंकि नामान्तकरण विवादित है, जिसे सुनने एवं निर्णित का अधिकार भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत तहसीलदार को है। अतः प्रकरण तहसीलदार निर्झरना, जिला दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत श्यामपुरा कलां तहसील लालसोट का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.04.2005 एवं इंतकाल संख्या 11 ग्राम बाढ प्रेमपुरा तहसील लालसोट हाल तहसील निर्झरना निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार निर्झरना, जिला दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। कोस्ट की राशि निर्णय पूर्व राजकोष में जमा करवायी जावे।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 22.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर